न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 30/2017

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां (प्रार्थी)

बनाम

1. श्री महेन्द्र राठौर पुत्र श्री सत्यनारायण राठौर (मालिक एवं विक्रेता) उम्र–32 जाति तेली निवासी ईटावा रोड़ वार्ड नं. 2 मांगरोल मेसर्स– सत्यनारायण राजेन्द्र कुमार ईटावा रोड़ मांगरोल
2. श्री दुर्गेश नन्दन बग्गा पुत्र श्री हरीश बग्गा मेसर्स वैभव इन्टरप्राईजेज 26–ए न्यू कॉलोनी गुमानपुरा कोटा
3- श्री समीर भाई दलाल पुत्र श्री कनू भाई निवासी 103, मन्बीज फ्लेट सोला रोड़ अहमदाबाद (प्रथम पार्टनर) **Krishna Marketing**, 26,27 Swami Narayan Estate, B/h Bhurabhai Complex Ujjala Char Rasta, Sarkhej-Ahmedabad-382210
4- श्री केतन कनू भाई दलाल पुत्र श्री कनू भाई निवासी बी/44, निरमन टावर्स गुलाब टावर अहमदाबाद (द्वितीय पार्टनर) **Krishna Marketing**, 26,27 Swami Narayan Estate, B/h Bhurabhai Complex Ujjala Char Rasta, Sarkhej-Ahmedabad-382210
5- जामिनी समीर दलाल निवासी 103, मन्बीज फ्लेट सोला रोड़ अहमदाबाद (तृतीय पार्टनर) **Krishna Marketing**, 26,27 Swami Narayan Estate, B/h Bhurabhai Complex Ujjala Char Rasta, Sarkhej-Ahmedabad-382210
6. **Krishna Marketing**, 26,27 Swami Narayan Estate, B/h Bhurabhai Complex Ujjala Char Rasta, Sarkhej-Ahmedabad-382210
7. श्री रविन्द्र गणपत राणे (नोमिनी) **JHAVERI INDUSTRIES,** A-1/179 GIDC, Umargan-396171 Dist. Valsad, Gujrat.
8. **JHAVERI INDUSTRIES,** A-1/179 GIDC, Umargan-396171 Dist. Valsad, Gujrat.

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :–1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी की ओर से)

निर्णय दिनांक 27.11.2017

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.09.2016 को मैसर्स सत्यनारायण राजेन्द्र कुमार इटावा रोड़ मांगरोल पर पहुंचा। वहां पर श्री महेन्द्र राठौर पुत्र श्री सत्यनारायण राठौर (मालिक एवं विक्रेता) उपस्थित थे, जिसे परिचय दिया।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर (बादशाह)** जो लगभग 500 ग्राम के पेक में 20 कि.ग्रा. रखे हुए थे। जिनमे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर 500 ग्राम के 4 पेकेट वास्ते नमूना जांच उपस्थित गवाहान के समक्ष खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को 340/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां

अति० जिला मजिस्ट्रेट

तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए **लाल मिर्च पाउडर (बादशाह)** के चार नमूना भाग में प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। तथा नमूना को नियमानुसार सीव्ड किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर स्वंय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर श्रीमान् डीओ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र कमांक/एफएसएसए/2016/345 दिनांक 26.12.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 254/FSSA/Kota/Act/2016/388 दिनांक 13.12.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, **लाल मिर्च पाउडर (बादशाह) मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य पदार्थ **लाल मिर्च पाउडर (बादशाह) मिथ्याछाप (Mis Branded)** का अप्रार्थीगण ने निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1, 2 स्वंय उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी कम 3 ता 8 की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री सतीश शर्मा ने उपस्थिति दी। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत नही किया।

हमने प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1, 2 स्वंय तथा 3 ता 8 के प्रतिनिधि को सुना । दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (बादशाह) का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य **खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।** अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप के जवाब में कोई संतुष्टिपूर्ण तथ्य नहीं बता पाये। अप्रार्थी कम 1 व 2 ने कथन किया कि वे कमशः विक्रेता एवं थोक विक्रेता हैं तथा उनके द्वारा जो लाल मिर्च पाउडर (बादशाह) विक्रय किया गया वो उन्हे अप्रार्थी कम 3 ता 8 द्वारा उपलब्ध करवाया गया है। वास्ते नमूना जांच लिया गया खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (बादशाह) मिथ्याछाप **(Mis Branded)** है तो उसके लिये अप्रार्थी कम 1 व

न्यायालय अति० जिला कलक्टर

अति० जिला मजिस्ट्रेट
बारां (राज०)

2 उत्तरदायी नही है अप्रार्थी क्रम 3 ता 8 ही उत्तरदायी है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के विरूद्ध उक्त कार्यवाही निरस्त करने की कृपा करें।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (बादशाह) जांच में मिथ्याछाप (**Mis Branded**) होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1 एवं 2 को कुल 5000/- तथा अप्रार्थी क्रम 3 ता 8 को कुल 295000/- महायोग 3,00,000/- अक्षरे तीन लाख रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त राशि पृथक पृथक जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क** आदि में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक **27.11.2017** को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

न्यायालय अति० जिला कलक्टर बारां (राज०)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official